भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1868

दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन

1868. सुश्री दिया कुमारीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में महिला और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले सूचित हो रहे ह॥ तथा यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त सूचित किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) महिलाओं और बच्चों के प्रति अधिकारों के हनन की संख्या और प्रकार क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं/कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2015-17 के दौरान महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ दर्ज अपराध के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामलों का विवरण अनुलग्नक-। में वर्णित है । महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की अवहेलना संबंधी मामलों की संख्या और प्रकार अनुलग्नक-।। में वर्णित हैं ।

(ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' तथा 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं । कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के जीवन और संपत्ति का संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं । तथापि, देश में महिलाओं और बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं से संबंधित

विभिन्न कानूनों जैसे 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961', 'स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986', कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013' और 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' को संचालित कर रहा है। भारत वर्ष 1992 से बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीआरसी) का हस्ताक्षरकर्ता है । बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु इस प्रतिबद्धता के अनुपालन में सरकार ने बालकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013 और राष्ट्रीय कार्रवाई योजना, 2016 निरुपित किए हैं । इसने किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 और बाल अधिकार संरक्षण के लिए आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2015 भी निरुपित किए हैं ।

किशोर न्याय अधिनियम देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून की अवहेलना करने वाले बच्चों के लिए संस्थानिक या गैर-संस्थानिक देखरेख मुहैय्या कराने हेतु सेवा-प्रदायगी संरचना का एक सुरक्षा नैट अधिदेशित करता है । पॉक्सो अधिनियम विभिन्न बाल दुर्व्यवहारों का संज्ञान लेता है और उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है । यह ट्रायल के प्रत्येक स्तर पर बालकों के लिए अनुकूल प्रक्रियाओं की व्यवस्था करता है और अपराध की अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग करना निर्धारित करता है । आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावशाली कानूनी अवरोध के लिए अधिनियमित किया गया था । साथ ही आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 भी 12 वर्ष से कम आयु वाली बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड शामिल करके बलात्कार जैसे अपराधों के लिए सजा को और कठोर बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है । शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिदेशित करता है । बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 देश में बालकों के अधिकारों का संरक्षण, बचाव और बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर सांविधिक आयोगों की स्थापना करने का अधिदेश देता है । इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग तथा सभी राज्य आयोग स्थापित किए गए हैं ।

भारत सरकार ने महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्भया फ्रेमवर्क के तहत एक अव्यपगत कोष की स्थापना की है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी निर्भया फंड फ्रेमवर्क के अंतर्गत हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए 'वन स्टॉप सैंटर' स्कीम, महिला हैल्पलाइन और महिला पुलिस वॉलेंटियर स्कीम क्रियान्वित कर रहा है ।

मंत्रालय ने जैंडर संबंधी विसंगति को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और स्कीमें शुरू की हैं । गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन देकर बेहतर अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शुरू की गई है । महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समन्वित प्रयासों के साथ घटते हुए बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और पूरे जीवनचक्र में बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) एक व्यापक कार्यक्रम है । महिला शक्ति केंद्र स्कीम का उद्देश्य छात्र वॉलेंटियर को शामिल करके सामुदायिक भागीदारी के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है । उज्ज्वला स्कीम का लक्ष्य दुर्व्यापार के पीड़ित बच्चों और महिलाओं का बचाव, पुनर्वास और पुन:एकीकरण करना है ।

साथ ही, सरकार इस बात को भी मान्यता देती है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की वारदातों के लिए लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है । अत: भारत सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सैमीनारों, प्रशिक्षणों, प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से महिलाओं और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों पर जागरुकता सृजन कार्यक्रम तथा प्रचार अभियान का आयोजन करती है ।

*****